

नौवहन मंत्रालय

मांग संख्या 88

नौवहन मंत्रालय

क. वसूलियाँ और प्राप्तियाँ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	148.70	812.70	961.40	152.54	1125.39	1277.93	128.65	541.96	670.61	266.05	947.36	1213.41	
पूँजी	416.06	-19.65	396.41	590.46	-62.39	528.07	318.55	-35.79	282.76	545.95	-79.87	466.08	
जोड़	564.76	793.05	1357.81	743.00	1063.00	1806.00	447.20	506.17	953.37	812.00	867.49	1679.49	
1. सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	3451	...	20.08	20.08	...	27.45	27.45	...	22.95	22.95	...	25.76	25.76
पत्तन और दीपस्तम्भ													
पत्तन													
2. कोचीन पत्तन न्यास की रेल संयोजकता परियोजना	5051	97.00	...	97.00	75.05	...	75.05	25.00	...	25.00
3. कोचीन पत्तन न्यास की बड़ी तलकपर्षण परियोजना	5051	157.45	...	157.45
	7051	80.52	...	80.52
जोड़	237.97	...	237.97
4. विशाखापटनम पत्तन न्यास को ऋण (ईएपी-जेबीआईएसी)	7051	80.00	...	80.00	30.00	...	30.00	90.00	...	90.00
5. तुतीकोरन पत्तन न्यास की बड़ी तलकपर्षण परियोजना	5051	35.00	...	35.00	65.00	...	65.00	100.13	...	100.13
6. की बड़ी तलकपर्षण परियोजना	5051	37.82	...	37.82
7. मोरमूगांव पत्तन न्यास को ईएपी ऋण	7051	113.70	...	113.70
8. तलकपर्षण और सर्वेक्षण संगठन	3051	...	525.70	525.70	...	425.86	425.86	...	247.00	247.00	...	337.70	337.70
9. लघु पत्तनों का विकास	3601	3.00	...	3.00
	5051	107.62	2.07	109.69	113.77	...	113.77	52.88	...	52.88	91.13	...	91.13
जोड़	110.62	2.07	112.69	113.77	...	113.77	52.88	...	52.88	91.13	...	91.13	
10. अन्य व्यय	3051	3.70	41.34	45.04	2.00	45.36	47.36	1.16	44.36	45.52	4.00	49.41	53.41
जोड़-पत्तन		352.29	569.11	921.40	441.47	471.22	912.69	224.09	291.36	515.45	348.08	387.11	735.19
दीप स्तम्भ													
11. निदेशन और प्रशासन	3051	...	18.45	18.45	...	22.75	22.75	...	26.68	26.68	...	26.74	26.74
12. दीप स्तम्भ और दीप पोत													
12.01 सकल कार्य-चालन व्यय	3051	...	131.74	131.74	...	147.25	147.25	...	153.32	153.32	...	163.26	163.26

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
12.02 घटाइए प्रासियां	1051	...	-203.53	-203.53	...	-170.00	-170.00	...	-180.00	-180.00	...	-190.00	-190.00
	<i>कुल</i>	...	<i>-71.79</i>	<i>-71.79</i>	...	<i>-22.75</i>	<i>-22.75</i>	...	<i>-26.68</i>	<i>-26.68</i>	...	<i>-26.74</i>	<i>-26.74</i>
13. दीप स्तम्भ और पोत चालन संबंधी अन्य सहायक साधनों का निर्माण और विकास	5051	31.54	-31.52	0.02	78.60	-78.60	...	45.00	-45.00	...	90.00	-90.00	...
जोड़-दीप स्तम्भ		31.54	-84.86	-53.32	78.60	-78.60	...	45.00	-45.00	...	90.00	-90.00	...
जोड़-पत्तन और दीपस्तम्भ		383.83	484.25	868.08	520.07	392.62	912.69	269.09	246.36	515.45	438.08	297.11	735.19
पोत परिवहन													
14. महानिदेशक पोत परिवहन	3052	...	32.29	32.29	4.00	48.04	52.04	0.02	60.00	60.02	10.39	92.64	103.03
15. भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय को अनुदान	3052	...	0.14	0.14	...	1.00	1.00	...	0.50	0.50	...	1.00	1.00
16. <i>अन्य व्यय</i>													
16.01 भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय का विकास	5052	17.55	...	17.55	40.00	...	40.00	30.00	...	30.00	80.45	...	80.45
16.02 सर्वेक्षण जलयानों की खरीद	5052	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00
16.03 सूचना प्रौद्योगिकी का विकास और मछुआरा प्रशिक्षण	5052	1.92	...	1.92	4.00	...	4.00	3.20	...	3.20	4.50	...	4.50
<i>जोड़- अन्य व्यय</i>		<i>34.47</i>	...	<i>34.47</i>	<i>59.00</i>	...	<i>59.00</i>	<i>48.20</i>	...	<i>48.20</i>	<i>99.95</i>	...	<i>99.95</i>
पोत निर्माण													
17. <i>सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आयोजना-भिन्न - ऋण</i>													
17.01 हुंगली डॉक एवं पत्तन इंजीनियर्स लि0	6858	...	9.80	9.80	...	16.21	16.21	...	9.21	9.21	...	10.13	10.13
18. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना हेतु हुंगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि. को अनुदान	2852	2.00	2.00	...	2.00	2.00
19. <i>अन्य सन्निधियां</i>													
19.01 कोचीन शिपयार्ड लि0	2852	...	70.92	70.92	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
19.02 गैर-केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम शिपयार्ड और निजी क्षेत्र शिपयार्ड	2852	...	128.19	128.19	...	542.11	542.11	...	129.78	129.78	...	400.00	400.00
<i>जोड़- अन्य सन्निधियां</i>		...	<i>199.11</i>	<i>199.11</i>	...	<i>542.12</i>	<i>542.12</i>	...	<i>129.79</i>	<i>129.79</i>	...	<i>400.01</i>	<i>400.01</i>
20. राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केन्द्र को सहायता	2852	1.03	3.32	4.35	4.98	4.00	8.98	3.58	4.00	7.58	20.86	4.00	24.86
21. अन्य व्यय	2852	6.88	...	6.88	11.56	...	11.56	8.10	...	8.10	19.08	...	19.08
जोड़-पोत निर्माण		7.91	212.23	220.14	16.54	562.33	578.87	11.68	145.00	156.68	39.94	416.14	456.08
जोड़-पोत परिवहन		42.38	244.66	287.04	79.54	611.37	690.91	59.90	205.50	265.40	150.28	509.78	660.06
22. अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	5075	4.46	...	4.46	13.37	...	13.37	2.40	...	2.40	11.90	...	11.90
23. सरकारी उद्यमों में निवेश	4858	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	6858	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
<i>जोड़</i>		<i>0.02</i>	...	<i>0.02</i>	<i>0.02</i>	...	<i>0.02</i>	<i>0.02</i>	...	<i>0.02</i>
अंतरदेशीय जल परिवहन													

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2010-2011			बजट 2011-2012			संशोधित 2011-2012			बजट 2012-2013			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
24. प्रशिक्षण और अनुसंधान	3056	0.50	...	0.50	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
25. जल परिवहन सेवाओं का विकास - भारतीय अंतरदेशीय परिवहन प्राधिकरण को अनुदान	3056	132.59	31.77	164.36	46.97	17.20	64.17	72.09	17.80	89.89	127.02	18.60	145.62
26. सीआईडब्ल्यूटीसी को सांविधिक देयताओं के परिसमापन के लिए अनुदान	3056	...	9.36	9.36	...	9.96	9.96	...	10.29	10.29	...	11.84	11.84
27. अन्य कार्यक्रम	3056	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00
जोड़-अंतरदेशीय जल परिवहन		134.09	41.13	175.22	48.97	27.16	76.13	74.09	28.09	102.18	130.02	30.44	160.46
अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग													
28. बांग्लादेश को सहायता	3605	...	2.93	2.93	...	4.40	4.40	...	3.27	3.27	...	4.40	4.40
29. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	81.03	...	81.03	41.70	...	41.70	81.70	...	81.70
जोड़-अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग		...	2.93	2.93	81.03	4.40	85.43	41.70	3.27	44.97	81.70	4.40	86.10
कुल जोड़		564.76	793.05	1357.81	743.00	1063.00	1806.00	447.20	506.17	953.37	812.00	867.49	1679.49
विकास शीर्ष		बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. बा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
पत्तन													
1. कोलकाता पत्तन न्यास	13051	...	64.73	64.73	...	63.95	63.95	...	63.95	63.95	...	44.98	44.98
2. कोचीन पत्तन न्यास	13051	...	1.94	1.94	...	23.11	23.11	...	23.11	23.11	...	83.44	83.44
3. पारादीप पत्तन न्यास	13051	...	81.26	81.26	...	160.00	160.00	...	160.00	160.00	...	174.09	174.09
4. तुतीकोरीन पत्तन न्यास	13051	...	172.10	172.10	...	160.00	160.00	...	160.00	160.00	...	88.75	88.75
5. जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास	13051	...	50.91	50.91	...	195.00	195.00	...	195.00	195.00	...	419.76	419.76
6. नया मंगलौर पत्तन न्यास	13051	...	30.10	30.10	...	36.00	36.00	...	36.00	36.00	...	36.00	36.00
7. चेन्नई पत्तन न्यास	13051	...	187.46	187.46	...	97.00	97.00	...	97.00	97.00	...	120.00	120.00
8. मुम्बई पत्तन न्यास	13051	...	102.58	102.58	...	285.00	285.00	...	285.00	285.00	...	377.11	377.11
9. कांडला पत्तन न्यास	13051	...	54.07	54.07	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	111.97	111.97
10. मोरमुगांव पत्तन न्यास	13051	...	71.53	71.53	...	52.33	52.33	...	52.33	52.33	...	58.78	58.78
11. विशाखापटनम पत्तन न्यास	13051	240.00	240.00	30.00	240.00	270.00	90.00	232.40	322.40
12. एन्नौर पत्तन लि0	13051	...	70.12	70.12	...	110.00	110.00	...	110.00	110.00	...	125.00	125.00
13. भारतीय तलकर्मण निगम	13051	...	110.31	110.31	...	498.43	498.43	...	498.43	498.43	...	799.00	799.00
14. सेतुसमुद्रम पोत परिवहन नहर परियोजना	13075	...	6.02	6.02	...	2.10	2.10	...	2.10	2.10	...	2.10	2.10
जोड़-पत्तन		...	1003.13	1003.13	...	2022.92	2022.92	30.00	2022.92	2052.92	90.00	2673.38	2763.38
पोत निर्माण													

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़
15. कोचीन शिपयार्ड लि0	12858	...	39.93	39.93	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	56.60	56.60
16. हुगली डॉक और पत्तन इंजीनियरिंग लि0	12858	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.01	...	0.01
जोड़-पोत निर्माण		...	39.93	39.93	0.02	40.00	40.02	0.02	40.00	40.02	0.01	56.60	56.61
<i>पोत परिवहन</i>													
17. भारतीय पोत परिवहन निगम	13052	...	3231.46	3231.46	...	3712.00	3712.00	...	2850.00	2850.00	...	2128.49	2128.49
जोड़-पोत परिवहन		...	3231.46	3231.46	...	3712.00	3712.00	...	2850.00	2850.00	...	2128.49	2128.49
जोड़		...	4274.52	4274.52	0.02	5774.92	5774.94	30.02	4912.92	4942.94	90.01	4858.47	4948.48
ग. योजना परिव्यय*													
1. इंजीनियरी उद्योग	12858	7.91	39.93	47.84	16.56	40.00	56.56	11.70	40.00	51.70	39.96	56.60	96.56
2. पत्तन और द्वीप स्तंभ	13051	383.83	997.11	1380.94	520.07	2020.82	2540.89	269.09	2020.82	2289.91	438.08	2671.28	3109.36
3. नौवहन	13052	45.91	3231.46	3277.37	83.37	3712.00	3795.37	57.62	2850.00	2907.62	127.24	2128.49	2255.73
4. अन्तर्देशीय जल परिवहन	13056	134.09	...	134.09	48.97	...	48.97	74.09	...	74.09	130.02	...	130.02
5. अन्य परिवहन सेवाएं	13075	...	6.02	6.02	...	2.10	2.10	...	2.10	2.10	...	2.10	2.10
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	81.03	...	81.03	41.70	...	41.70	81.70	...	81.70
जोड़		571.74	4274.52	4846.26	750.00	5774.92	6524.92	454.20	4912.92	5367.12	817.00	4858.47	5675.47
<i>*शहरी विकास मंत्रालय में निर्माण परिव्यय का सम्मिलन</i>													
मांग संख्या 102	13052	6.98	...	6.98	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	5.00	...	5.00

1. यह प्रावधान पोत परिवहन मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय के लिए है।
2. यह व्यवस्था कोचीन पत्तन न्यास के रेल जुड़ाव परियोजना के लिए है।
3. यह प्रावधान कोचीन पोर्ट ट्रस्ट की तलकपर्ण परियोजना के लिए है।
4. यह व्यवस्था यंत्रीकृत इस्पात सम्प्लाई प्लांट के विकास के लिए विशाखापटनम पत्तन न्यास की बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए है।
5. यह प्रावधान तूतीकारिन पोर्ट ट्रस्ट की बड़ी तलकपर्ण परियोजना के लिए है।
6. यह प्रावधान चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के बाहरी बंदरगाह परियोजना के बड़े तलकपर्ण के लिए है।
7. यह प्रावधान मोरमुगांव पत्तन न्यास यांत्रिक अयस्क संयंत्र की प्रतिस्थापना/नवीनीकरण के लिए है।

8. यह व्यवस्था कोलकाता पत्तन न्यास को हुगली नदी और हल्दिया जलमार्ग के तलकपर्ण और अनुरक्षण के लिए अदायगी और लघु पत्तन सर्वेक्षण संगठन के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।
9. यह व्यवस्था अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में अवतरण सुविधाओं और जेटियों के निर्माण, तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह में नौ चालन सुविधाओं अंडमान लक्षद्वीप बन्दरगाह निर्माण कार्यों हेतु स्थापना प्रभार के लिए है।
10. यह आयोजना व्यवस्था अनुसंधान और विकास संबंधी योजनाओं के व्यय के लिए है। यह आयोजना-भिन्न व्यवस्था अंडमान और लक्षद्वीप बन्दरगाह संबंधी निर्माण कार्यों आदि के स्थापना प्रभारों के लिए है।
- 11,12 & 13. दीपस्तंभ और दीपपोत संगठन सरकार का एक अधीनस्थ संगठन है, जो नौचालन संबंधी सहायक-साधनों की व्यवस्था करता है, जिनमें प्रकाश वाहन, ध्वनि संकेत, बोयास, रेडियो बीकन आदि शामिल हैं। यह संगठन पोतों के मार्गदर्शन के लिए दीप स्तंभों का निर्माण और रख-रखाव भी करता है। यह आयोजना व्यवस्था दीप स्तंभों के निर्माण और विकास पर होने वाले पूंजी व्यय तथा अन्य नौचालन संबंधी सहायक साधनों के लिए है। इसे भारतीय दीप स्तम्भ अधिनियम, 1927 के उपबंधों के अनुसार एकत्रित प्रकाश प्राप्ति से पूरा किया जाता है।

14. यह व्यवस्था नौवहन महानिदेशालय की स्थापना के लिए है जो वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम 1958 के अन्तर्गत एक सांविधिक प्राधिकरण है। यह वाणिज्यिक नौवहन कानूनों से संबंधित सभी मामलों के लिए नियमन संबंधी कार्य करता है। यह निदेशालय नाविकों के कल्याण को भी देख रही है। यह आयोजना प्रावधान दुर्घटना अन्वेषण प्रकोष्ठ, सामुद्रिक आकस्मिक निधि और बलास्ट जल प्रबंधन स्कीम के प्रशासन के लिए है।

15. यह प्रावधान नवसृजित भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय को कुलपति, संकाय सदस्यों और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा संस्था चलाने संबंधी खर्च वहन करने के लिए अनुदानों हेतु है।

16. यह प्रावधान भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय के परिसर विकास और अवसंरचना प्रयोगशालाओं, छात्रावास सुविधाओं आदि के विकास, नाविकों के पहचान दस्तावेजों के विकास, ऑनलाइन परीक्षा के आयोजन आदि सहित विस्तार परियोजनाओं के लिए है।

17. यह व्यवस्था एच.डी.पी.ई. लि. को आयोजना-भिन्न ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए है ताकि कंपनी अपने संसाधनों में अंतर को पूरा करने में सक्षम हो सके।

18. यह प्रावधान हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि. की स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए है।

19. यह प्रावधान कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, गैर-केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शिपयार्ड्स और निजी क्षेत्र के शिपयार्ड्स को सव्मिडियों के भुगतान के लिए है।

20. यह प्रावधान पोत निर्माण हेतु अनुसंधान और विकास योजनाओं के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने और राष्ट्रीय पोत डिजाइन एवं अनुसंधान केन्द्र के प्रशासनिक खर्चों के लिए है।

21. यह प्रावधान पोत अनुषंगी विकास, अध्ययनों को करने और सूचना प्रौद्योगिकी को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए है।

22. यह व्यवस्था कोलकाता पत्तन न्यास, सेतुसमुद्रम शिप केनाल परियोजना के नदी विनियामक निर्माण कार्यों और बड़े पत्तनों हेतु एक समान तथा वैब आधारित सामुदायिक साझेदारी संदेश के आदान-प्रदान का कार्यान्वयन करने हेतु है।

23. इस प्रावधान में हुगली डॉक और पोर्ट इंजीनियर्स लि. के वर्तमान सुविधाओं के आधुनिकीकरण, नवीनीकरण और प्रतिस्थापन के लिए बजटीय सहायता शामिल है। वर्तमान सुविधाओं के नवीनीकरण/प्रतिस्थापन और उनमें वृद्धि करने पर उनका उपयोग करने के लिए हुगली डॉक और पोर्ट इंजीनियर्स लि. को ऋण सहायता दी जाती है।

24. यह व्यवस्था अनुसंधान तथा विकास समेत तकनीकी अध्ययनों के लिए है।

25. भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, अनुरक्षण और विनियमन तथा देश में अन्तर्देशीय जल परिवहन विकास के संबंध में सरकार को सलाह देने के लिए जिम्मेदार है। प्राधिकरण

को दी जा रही अनुदान सहायता का उद्देश्य नदी संरक्षण कार्य, टर्मिनल का निर्माण, राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण के प्रशासनिक खर्चों के संबंध में व्यय की पूर्ति करना है। प्राधिकरण को आयोजना-भिन्न अनुदान सहायता का उद्देश्य इसकी स्थापना लागत को पूरा करना है।

26. यह व्यवस्था केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड को कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए है।

27. इसमें उनके द्वारा ऋण व्याज आर्थिक सहायता स्कीम के अधीन अंतर्देशीय जल परिवहन उद्यमियों को कम व्याज दर पर दिए गए ऋणों के संबंध में व्याज विभेदक के लिए वित्तीय संस्थाओं को भुगतान के लिए भी व्यवस्था शामिल है।

28. यह व्यवस्था बंगलादेश सरकार के साथ पारगमन और व्यापार करार के संबंध में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए है।

29. यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए है।